



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012023-241917
CG-DL-E-12012023-241917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]
No. 188]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2023/पौष 22, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2023/PAUSHA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023

का.आ. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज (3)
32	नागापट्टिनम से तूतीकोरीन खंड (तमिलनाडु राज्य में)	279.13 किमी (लगभग)
716ए	आंध्र प्रदेश राज्य में पुत्तूर के निकट रारा-716 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नारायणा वनम, तुंबुरु, कोप्पेडू, हरिजन, वाडा, रामगिरी, कृष्णापुरम, उथुकोट्टई, तमिलनाडु राज्य में थराची, पलवक्कम, पेरियापलम, कन्नीगैपेयर को जोड़ने वाला और जनप्पाचतरम के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	तमिलनाडु राज्य में समग्र रारा
744ए	तमिलनाडु (मदुरै रिंग रोड) राज्य में आलमपट्टी के निकट रारा-744 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर वडगराई, नेदुम्मादुरई, इलियारपथी, इरुक्कीलैवेल्लुर, कोडागई, मनालुर, कुन्नाथुर, परायणकुलम, थमरईपट्टी,	तमिलनाडु राज्य में समग्र रारा

	इरानियम, उसिलमपट्टी, कुलामंगलम, कालवेलीपट्टी, तातमपट्टी को जोड़ने वाला और वादीपट्टी के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	
948ए	कर्नाटक राज्य में दोबासपेट (मन्ने), निजागल, केंगल, गुडेमारनहल्ली, हरथी, मेलाहल्ली, हुलीकेरेगुन्नूर, रायसांद्रा, बनवासी, थोकासांद्रा के निकट रारा-648 और रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर तमिलनाडु राज्य में अचेतीपल्ली, अलुर को जोड़ने वाला और कर्नाटक (बेंगलुरु रिंग रोड) राज्य में सरजापुर के निकट रारा-648 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	तमिलनाडु राज्य में समग्र रारा
179डी	तमिलनाडु राज्य में सेम्मंबडी के निकट रारा-179बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और चेटपेट पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	तमिलनाडु राज्य में समग्र रारा

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 199(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage (3)
32	Nagapatinam to Tuticorin Section (In the State of Tamil Nadu)	279.13 Km (Approx.)
716A	The highway starting from its junction with NH-716 near Puttur connecting , Narayana Vanam, Thumburu, Koppedu, Harijan, Vada, Ramagiri, Krishnapuram, Utthukottai in the State of Andhra Pradesh connecting Tharachi, Palavakkam, Periyapalam, Kannigaipair, and terminating at its junction with NH-16 near Janappachataram in the State of Tamil Nadu.	Entire NH in the State of Tamil Nadu
744A	The highway starting from its junction with NH-744 near Alampatti connecting Vadagarai, Nedummadurai, Eliyarpatti, Erukkilaivellur, Kondagai, Manalur, Kunnathur, Parayankulam, Thamaraipatti, Iraniyam, Usilampatti, Kulamangalam, Kalvellipatti, Tatampatti and terminating at its junction with NH-44 near Vadipatti in the State of Tamil Nadu (Madurai Ring Road)	Entire NH in the State of Tamil Nadu
948A	The highway starting from its junction of NH 648 & NH-48 near Dobaspete (Manne), Nijagal, Kengal, Gudemaranahalli, Harthi, Melahalli, Hulikeregunnur, Rayasandra, Banavasi, Thokasandra in the State of Karnataka connecting Achettipalli, Alur in the State of Tamil Nadu and terminating at its junction with NH-648 near Sarjapur in the State of Karnataka (Bengaluru Ring Road)	Entire NH in the State of Tamil Nadu
179D	The Highway starting from its junction with NH-179B near Semmambadi and terminating at Chetpet in the state of Tamil Nadu.	Entire NH in the State of Tamil Nadu

[F. No. NH-14013/10/2022-P&M]
RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023

का.आ. 200(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 (नई रारा सं. 544) (किमी 141/0 से आरंभ होने वाला और किमी 171.200 पर पुनः मिलने वाला कोयंबटूर बाइपास), सं. 49 (नई रारा सं. 87 और 85), [किमी 5.000 से 118.795 किमी तक (मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200 (नागापट्टिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 207 (नई रारा सं. 648), सं. 208 (नई रारा सं. 744) [किमी 163.000 से किमी 231.600 (तिरुमंगलम – राजापलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 209 (नई रारा सं. 83) [किमी 0.000 से किमी 35.822 (कमलापुरम – ओडुनचतरम खंड) और किमी 29.000 से किमी 74.380 (ओडुनचतरम – मदाथुकुलम खंड) और किमी 74.380 से किमी 116.950 (मदाथुकुलम – पोल्लाची खंड) और किमी 23.230 से किमी 30.900 (ओडुनचतरम बाइपास) और किमी 123.550 से किमी 150.400 (पोल्लाची – कोयंबटूर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 179ए, सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी 174.000 (त्रिची – करईकुडी – देवाकुट्टई - रास्ता – करईकुडी - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 219 (नई रारा सं. 42), नई रारा सं. 32 (तृतीकोरीन से कन्याकुमारी खंड), नई रारा सं. 136, सं. 230 (नई रारा सं. 85), सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), सं. 381, नई रारा सं. 381ए, नई रारा सं. 381बी, नई रारा सं. 383, नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।	तमिलनाडु राज्य सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन सं. का.आ. 6017(अ), दिनांकित 22 दिसंबर, 2022 द्वारा किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 200(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State

Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“22	So much of National Highway No. 47 (new NH No. 544) (Coimbatore bypass commencing from Km 141/0 and rejoining at Km 171.200), No.49 (New NH No. 87 and 85) [excluding from Km. 5.000 to K.m. 118.795 (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram section), No. 67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding from Km. 0.000 to K.m. 218.200] (Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur section) No. 207 (New NH No. 648), No. 208 (New NH No. 744) [excluding from Km 163.000 to K.m. 231.600 (Thirumangalam- Rajapalayam Section)], No. 209 (New NH No. 83) [excluding from Km. 0.000 to Km 35.822 (Kamalapuram - Oddanchatram section) and from Km. 29.000 to K.m. 74.380 (Oddanchatram - Madathukulam section) and from Km 74.380 to K.m. 116.950 (Madathukulam – Pollachi section) and from K.m. 23.230 to K.m. 30.900 (Oddanchatram Bypass) and from Km 123.550 to Km 150.400 (PollachiCoimbatore Section)], New NH No. 179A, No. 210 (New NH No. 336 and 536) [excluding from k.m. 10.000 to km. 174.000 (Trichy- Karaikudi-Devakottai- Rastha- Karaikudi- Ramanathapuram section)], No. 219 (New NH No. 42), New NH No. 32 (Tuticorin to Kanyakumari section) , New NH No. 136, No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), No. 381, new NH No. 381A, new NH No. 381B, New NH No. 383, new NH No. 532 new as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu”

Note:—The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 6017(E), dated the 22nd December, 2022.

[F. No. NH-14013/10/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director